न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 14/2019

बउनवान

श्री किशन आयु 65 साल पुत्र श्री नाथूलाल जाति–माली निवासी–कोयला तहसील–बारां जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1– जमनालाल आयं 68 साल पुत्र श्री नाथूलाल जाति–माली निवासी–कोयला त्हसील–बारां जिला–बारां

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट्स)**

अपील बनाराजगी तहसीलदार–बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 1183 दिनांक 10.04.2019 वाके ग्राम तलावडा अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री रमेन्द्र सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेंट)**

निर्णय दिनांक– 18.11.2020

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट क्रम–1 के संयुक्त खाते में ग्राम कोयला तहसील–बारां में आराजी स्थित है जो अपीलांट के पिता व रेस्पोडेंट क्रम–1 के पिता नाथूलाल जी की मृत्यु उपरान्त जर्ये फोती इन्तकाल संख्या 1183 दिनांक 13.11.2007 को खाते दर्ज हुयी है। नाथूलाल के दो लडकिया हीराबाई व उर्मिला बाई का नाम सहखातेदारान् के रूप में दर्ज हुआ। लेकिन हीराबाई व उर्मिलाबाई ने दिनांक 29.8.2018 को हक त्याग किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व सह खातेदारान् के नाम इन्तकाल खोलते समय सहवन से अपीलांट का नाम श्री किशन के स्थान पर श्री कृष्ण अंकित कर दिया है, जो गलत दर्ज हुआ है। क्योकि अन्य समस्त दस्तावेजात् आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर आई0डी0 व पेनकार्ड इत्यादि में अपीलांट का सहीं नाम श्री किशन हीं अंकित है। अपीलांट का नाम इन्तकाल में श्री कृष्ण दर्ज हो जाने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 1183 दिनांक 13.11.2007 निरस्त किया जाकर अपीलांट के नाम श्री कृष्ण के स्थान पर श्री किशन दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

2– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभि[illegible]रण में रेस्पोडेंट–1

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 10:34:43 IST
Reason: SelfAttested

बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट के खातेदारी में ग्राम कोयला में किता 9 रकबा 2.41 है0 आराजी अवस्थित है। पिता की मृत्यु होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा वारिसान् का फौती इन्तकाल तस्दीक किया गया जिसमें सहवन से अपीलांट का नाम श्री किशन के स्थान पर श्रीकृष्ण दर्ज कर दिया है। जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम श्री किशन हीं है। अपीलांट की समस्त पहचान आई0डी0 व दस्तावेजात् आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर आई0डी0 व पेनकार्ड इत्यादि में भी उसका नाम श्री किशन हीं अंकित है। अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज हो जाने से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यो में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी फौती इन्तकाल को निरस्त किया जाकर, अपीलांट के नाम श्री कृष्ण के स्थान पर श्री किशन दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

4— इसपर विद्वान पेरोकार सरकार का कथन है कि यदि सहवन से राजस्व रेकार्ड में अपीलांट का नाम गलत दर्ज हुआ है तो दस्तावेजात् की जॉच कर, सहीं किया जा सकता है।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा नाथूलाल आ0 रघुनाथ माली सा.देह मृतक ग्राम कोयला का फौती विरासतन इन्तकाल संख्या 1183 दिनांक 13.11.2007 को तस्दीक किया गया है। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इन्तकाल में सहवन से अपीलांट का नाम श्रीकिशन के स्थान पर श्री कृष्ण दर्ज कर दिया है, जबकि उसका वास्तविक नाम श्री किशन हीं है। पहचान पत्र व अन्य आई0डी0 भी श्रीकिशन के नाम से हीं है।

6— अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 1183 दिनांक 13.11.2007 वाके ग्राम कोयला तहसील—बारां को निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पहचान आई0डी0 यथा आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड व अन्य दस्तावेजात् की जॉच व पुष्टि कर, अपीलांट का सहीं इन्तकाल तस्दीक किया जावे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां के समक्ष दिनांक 14.12.2020 को उपस्थित होवें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 10:34:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.08 10:34:43 IST
Reason: SelfAttested